पत्र संख्या–9/पें०(6)–01/2014 122/वि.प.

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग

प्रेषक,

सतेन्द्र सिंह
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/
सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक 10.10.17

विषयः– दिनांक 11.10.2017 को अपराह्न 03.00 बजे e-Pension WorkShop के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि योजना सह वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2369 दिनांक 13.07.2017 द्वारा ऑनलाईन पेंशन आवेदन एवं स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। कर्मचारी पोर्टल की समीक्षा से प्रतीत होता है कि ऑन–लाईन पेंशन आवेदनों पर DDO Level अथवा स्वीकरण पदाधिकारी के स्तर पर कार्रवाई नही हो रही है । इस संबंध में विभाग स्तर पर आ रही कठिनाईयों के समाधान हेतु एक WorkShop का आयोजन प्रोजेक्ट भवन के नये सभागार के प्रथम तल में अपराह्न 03.00 बजे से किया जा रहा है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के पत्र संख्या 115/वि(पें०) दिनांक 20.09.2017 द्वारा कैडरवार/सेवावार/विभागवार पेंशन स्वीकरण पदाधिकारियों की सूची की मांग की गयी थी, जो सभी विभाग/कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई है ।

अनुरोध है कि e-Pension WorkShop में अपने-अपने विभाग के पेंशन कार्य से संबंधित नोडल पदाधिकारी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को पूर्व में प्रेषित विभागीय पत्रांक 115 दिनांक 20.09.2017 के अनुसार पेंशन स्वीकरण पदाधिकारियों की सूची के साथ यथा स्थान एवं समय पर उपस्थित सुनिश्चित कराने हेतु निदेश देने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(सतेन्द्र सिंह)
सचिव (व्यय)।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 2716 राँची, दिनांक :– 10-10-17

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ संयुक्त सचिव, प्रशासक कार्यालय, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ अपर निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, जमशेदपुर/ सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ अवर सचिव, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

(राजेश बखला)
सरकार के अवर सचिव।

पत्र संख्या 9/पें०(6) 01/2014 122/वि.प.

झारखण्ड सरकार

योजना सह वित्त विभाग

::

प्रेषक,

सतेन्द्र सिंह

सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/

सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष,

झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 10.10.17

विषयः दिनांक 11.10.2017 को अपराह्न 03.00 बजे e-Pension WorkShop के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि योजना सह वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2369 दिनांक 13.07.2017 द्वारा ऑनलाईन पेंशन आवेदन एवं स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। कर्मचारी पोर्टल की समीक्षा से प्रतीत होता है कि ऑन लाईन पेंशन आवेदनों पर DDO स्तर अथवा स्वीकरण पदाधिकारी के स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में विभाग स्तर पर आ रही कठिनाईयों के समाधान हेतु एक WorkShop का आयोजन प्रोजेक्ट भवन के नये सभागार के प्रथम तल में अपराह्न 03.00 बजे से किया जा रहा है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के पत्र संख्या 115/वि(पें०) दिनांक 20.09.2017 द्वारा कैडरवार/सेवावार/विभागवार पेंशन स्वीकरण पदाधिकारियों की सूची की मांग की गयी थी, जो सभी विभाग/कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई है।

अनुरोध है कि e-Pension WorkShop में अपने-अपने विभाग के पेंशन कार्य से संबंधित नोडल पदाधिकारी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को पूर्व में प्रेषित विभागीय पत्रांक 115 दिनांक 20.09.2017 के अनुसार पेंशन स्वीकरण पदाधिकारियों की सूची के साथ यथा स्थान एवं समय पर उपस्थित सुनिश्चित कराने हेतु निदेश देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(सतेन्द्र सिंह)

सचिव (व्यय)।

पत्र संख्या–9 / पें०(6)–01 / 2014

झारखण्ड सरकार

योजना सह वित्त विभाग

—::—

प्रेषक,

सतेन्द्र सिंह

सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सचिव
सभी आयुक्त / सभी विभागध्यक्ष / सभी उपायुक्त /
सभी पुलिस अधीक्षक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी
/ सभी सिविल सर्जन
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक 20/09/17

विषयः– पेंशन के ऑनलाईन आवेदन हेतु कर्मचारी सेवा पोर्टल (Employee Portal) में स्वीकृति पदाधिकारी का नाम अंकित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि योजना सह वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2369 दिनांक 13.07.2017 द्वारा पेंशन हेतु कर्मचारी सेवा पोर्टल के माध्यम से Online आवेदन का प्रावधान किया गया है । कर्मचारी सेवा पोर्टल में सभी विभाग / कार्यालय के स्वीकृति पदाधिकारी की महालेखाकार, झारखण्ड के कार्यालय से प्राप्त सूची को दर्शाया गया है ।

ऑन–लाईन पेंशन आवेदन एवं स्वीकृति के क्रम में कई कार्यालयों द्वारा सूचित किया जा रहा है कि पेंशन स्वीकृति प्राधिकार की सूची में उनका नाम नही है । समस्याओं के समाधान हेतु पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी, जिनका नाम सूची में अंकित नही है, उनका नाम / पदनाम अंकित किया जाना है ।

अतः अनुरोध है कि कर्मचारी सेवा पोर्टल में जाँचोपरान्त यदि पोर्टल की सूची में नाम / पदनाम अंकित नही हो तो स्वीकृति पदाधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय एवं संबंधित DDO Code (यदि हो तो) सूची में सम्मिलित करने के प्रस्ताव के साथ Fax अथवा E-mail के माध्यम से यथा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

20/9/17

(सतेन्द्र सिंह)

सचिव (व्यय)।

2937 22-09-17

1674 25/9/17

3745 26-9-17

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

2369/वि.
13.07.17

संकल्प

विषय :- पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान/मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान/पेंशन रूपांतरण के आवेदन पत्र में संशोधन एवं Online आवेदन के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत सरकारी सेवक के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान/मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान/पेंशन रूपान्तरण हेतु झारखण्ड पेंशन नियमावली 2000 में विहित पेंशन फारम-4 के द्वारा आवेदन करने का प्रावधान है ।

2. जनसंवाद/विभाग में प्राप्त आवेदन एवं विभिन्न स्तर से सेवानिवृत सरकारी सेवकों से प्राप्त शिकायत तथा महालेखाकार द्वारा कोषागारों के भ्रमण के दौरान वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों हेतु आवेदन की प्रक्रिया एवं भुगतान में कई कठिनाईयाँ दृष्टिगोचर हुईं है ।

उक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु Digital India एवं e-governance की तर्ज पर पेंशन फारम 4 को सरलीकृत करते हुए e-pension Form (ऑनलाईन पेंशन आवेदन) की प्रक्रिया का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

3. अतः सम्यक विचारोपरांत पेंशन के लिए आवेदन उसकी मंजूरी/स्वीकृति एवं प्रक्रिया के नियमों के संबंध में निम्न निर्णय लिये जाते है :

(i) पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान/मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान/पेंशन रूपान्तरण हेतु आवेदन e-pension Form में ऑनलाईन आवेदन (प्रारूप संलग्न) करना होगा ।

(ii) e-pension ऑनलाईन आवेदन Employee portal पर लॉग करने एवं Pension Portal पर उसे स्वीकृत करते हुए स्कैंड अभिलेखों (Scanned Documents) को संलग्न कर स्वीकृत पेंशन प्रपत्र महालेखाकार कार्यालय को सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति की तिथि के छः माह पूर्व ऑनलाईन उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय/विभाग का होगा जहाँ से सरकारी सेवक सेवानिवृत होगा ।

(iii) आवेदक/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने निर्बाधित Employee Portal में Login कर "Generate Pension Paper" आईकॉन द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर सकते है ।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) Pension Portal में Login कर प्राप्त आवेदन की समीक्षा उपरांत आवश्यक प्रक्रिया को 20 दिनों के अंदर पूर्ण कर स्वीकृति हेतु स्वीकृति पदाधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित करेंगे ।

(v) स्वीकृति पदाधिकारी Pension Portal में Login कर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) द्वारा अग्रसारित ई-पेंशन आवेदन की संवीक्षा उपरांत स्वीकृत करते हुए 10 दिनों के अन्दर महालेखाकार कार्यालय को अग्रसारित करेंगे ।

(vi) महालेखाकार कार्यालय द्वारा e-PPO 15 दिनों के अन्दर निर्गत कर Pension Portal में उपलब्ध कराया जायगा, जिसे आवेदक, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) एवं कोषागार पदाधिकारी Login कर प्राप्त कर सकते हैं ।

(vii) विभाग/कार्यालय द्वारा सेवानिवृत सेवक की सेवानिवृति के 15 दिनो के अन्दर बेबाकी प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) निश्चित रूप से निर्गत कर Online कर दिया जाएगा तथा कोषागार, संबंधित सरकारी सेवक/पेंशनर एवं महालेखाकार कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित कर दिया जायेगा ।

(viii) महालेखाकार से किसी कारणवश त्रुटि निराकरण हेतु वापसी के उपरांत भी उपर्युक्त कालावधि प्रभावी रहेगी ।

(ix) पेंशन हेतु Online शिकायत करने की सुविधा एवं इसके निवारण हेतु जिलावार/विभागवार शिकायत निवारण कोषांग का गठन किया जाय ।

4. 31 अगस्त, 2017 एवं उसके उपरांत वार्धक्य सेवानिवृति होने वाले मामलों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान/मृत्यु सह सेवानिवृति उपदान/पेंशन रूपान्तरण के आवेदन ऑनलाईन करना आवश्यक होगा ।

5. झारखण्ड पेंशन नियमावली 2000 में उल्लेखित पेंशन के लिए आवेदन उसकी मंजूरी, प्रपत्र एवं प्रक्रिया के नियमों को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 30.05.2017 की बैठक मद संख्या 13 में इसकी स्वीकृति दी गई है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।

11.7.2017

(अमित खरे)
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक :- 9/पें०(6)-01/2014 2369 /वि०   राँची, दिनांक 13.07.17

प्रतिलिपि:- सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को e- गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित ।

11.7.2017

(अमित खरे)
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।